# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

**परमिशन वाद सं0 55 वर्ष 2025–26**

| | |
|---|---|
| आवेदक– राजु कुमार महतो | क्रेता– हेमन्ती कुमारी |
| ग्राम– किमोजोरिया | ग्राम– किमोजोरिया |
| थाना– नावाडीह जिला–बोकारो | थाना–नावाडीह जिला–बोकारो |

| आदेश की क0 सं0 तारीख 01 | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02 | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 03 |
|---|---|---|

14/8/25

## आदेश

यह वाद आवेदक–**राजु कुमार महतो, पिता–स्व0 मगत महतो उर्फ मगतु महतो, निवास ग्राम–किमोजोरिया, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **किमोजोरिया** | **77** | **3** | **670** | **0.28 ए0** | **0.05 ए0** | **रैयती, टांड II वर्तमान स्वरूप बारी** |

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो0 1,00,000/–(एक लाख) रूपये में **क्रेता–हेमन्ती कुमारी, पति–बबलु कुमार निवास ग्राम–किमोजोरिया, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1197/रा0, दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक–704, दिनांक–01.08.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में बिक्रेता के दादा किसुन महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0 170/1 में बिक्रेता के पिता भगतु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा पोता का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में बिक्रेता के दादा किसुन महतो के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0 170/1 में बिक्रेता के पिता भगतु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष 2024–25 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली

M

जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्ताक्ति जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैः–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है किबिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछडी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी रैयत के वंशज से प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–**राजु कुमार महतो, पिता–स्व0 भगत महतो उर्फ भगतु महतो,निवास ग्राम–किमोजोरिया, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

| मौजा | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिकी रकबा | उ0 सीमा | द0 सीमा | पू0 सीमा | प0 सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **किमोजोरिया** | **3** | **670** | **0.28 ए0** | **0.05 ए0** | **रास्ता** | **रास्ता** | **शम्भू प्रसाद** | **कार्तिक महतो वाके** |
| | | | कुल | 05 डी0 (पॉच डिसमिल जमीन मात्र) | | | | |

मो0 85,000/–(पचासी हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–हेमन्ती कुमारी, पति–बबलु कुमार निवास ग्राम–किमोजोरिया, थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

14-8-2025

**भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता**
**बेरमो (तेनुघाट)।**

14-8-2025

**भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता**
**बेरमो (तेनुघाट)।**

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2026.01.10 16:22:19 +05:30
Location: 10.93.6.142